

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वाराणसी।

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-4322/एडमिन जी-1 /2020 इलाहाबाद दिनांकित 18-05-2020 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-102/सात-न्याय-02-2015-728/86 दिनांक-18-06-2015 तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 7584/एस. एफ. सी. एम. सेल/ इलाहाबाद दिनांकित 26-05-2023 के अधीन परिवार न्यायालय वाराणसी में परामर्शदाता के नियुक्ति के सम्बन्ध में अर्ह व्यक्तियों से उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

1:- आयु- विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

2:- शैक्षिक अर्हता- अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो, जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउंसलिंग में 2 वर्ष का अनुभव हो, उन्हें वरीयता दी जायेगी।

3:- सेवा अवधि- परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 3 (तीन) वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 (तीन) वर्ष के लिए उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

4. निवास स्थान- जनपद वाराणसी के निवासी को वरियता दी जायेगी।

5:- आवेदन करने की अंतिम तिथि- अर्ह एवं इच्छुक व्यक्ति संलग्न प्रारूप पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिनांक 31-07-2025 सांय 5.00 बजे तक कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वाराणसी में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

6:- आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण-

- i. शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
- ii. आयु प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र/ अंक पत्र की छायाप्रति)
- iii. अन्तिम शैक्षिक संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- iv. अनुभव प्रमाण पत्र।
- v. निवास प्रमाण पत्र।
- vi. आधार कार्ड की छायाप्रति।
- vii. पासपोर्ट आकार के दो (02) फोटो।
- viii. मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एवं आपराधिक वाद में संलिप्त ना होने के सम्बन्ध में शपथपत्र।

7. पदों की संख्या- एक (01) पद।

8. मानदेय- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार।

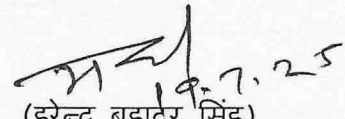
मय 9.7.25

नोट- परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और परिवार न्यायालय वाराणसी में संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

आवेदन की अन्तिम तिथि के उपरान्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

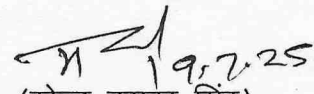
इस विज्ञप्ति की एक-एक प्रति जनपद न्यायालय/ प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय वाराणसी तथा कलेक्ट्रेट वाराणसी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये तथा विज्ञप्ति दैनिकी समाचार पत्र में प्रकाशित की जाये।

दिनांक- 19-07-2025


(हरेन्द्र बहादुर सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
वाराणसी।

प्रतिलिपि:-

- 1:-जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रभारी उपसाध्यपाल, परिवारिक न्यायालय वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय परिवार न्यायालय वाराणसी के नोटिस बोर्ड पर सेण्ट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी, बनारस बार एसोसिएशन व बाह्य न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
4. जिला सूचना, अधिकारी वाराणसी को दैनिकी समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
5. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, वाराणसी को जनपद न्यायालय वाराणसी के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।


(हरेन्द्र बहादुर सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
वाराणसी।

Received
Divyastava
19.07.25

न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वाराणसी।

परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट
आकार की
फोटो यहाँ
चिपकायें

1. नाम आवेदक (हिन्दी में).....

2. पिता/ पति का नाम.....

3. जन्म तिथि-

शब्दों में.....

अंकों में.....

4- पत्राचार का पता-.....

.....

.....

.....मो० सं०.....

5. स्थाई पूर्ण पता-.....

.....

.....मो० सं०.....

6. शैक्षिक योग्यतायें-

परीक्षा का नाम	संस्था/ बोर्ड विवरण	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	श्रेणी
हाईस्कूल				
इण्टरमीडिएट				
स्नातक				
परास्नातक				
अन्य				

7. अनुभव-.....

8. अन्य विवरण (यदि कोई हो).....

8. संलग्नकों का विवरण-

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी में उपरोक्त विवरण एवं तथ्य सभी सच व सही हैं, कुछ झूठ नहीं हैं और न ही कुछ छिपाया गया है। यदि कोई विवरण या सूचना असत्य अथवा गलत पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी और मेरा आवेदन पत्र/ नियुक्ति निरस्त कर दी जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का स्पष्ट नाम.....

नोट- आवेदक द्वारा दाखिल किए जाने वाले सभी प्रमाण पत्र व कागजात स्वप्रमाणित करके दाखिल किए जाएंगे।